न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 05/2023 | दायर दिनांक 02.03.2023
जीसीएमएस नं. 2023/20 | निर्णय दिनांक 18.06.2025

1.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1.श्री प्रभूलाल पिता नानुलाल निवासी भिलवा पंचेला तहसील झौथरीपाले, जिला डूंगरपुर
2.श्रीमति बबली पत्नी प्रभूलाल निवासी भिलवा पंचेला तहसील झौथरीपाले, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.राजकीय पेरोकार – अपीलाण्ट

–:निर्णय:–

दिनांक – **18.06.2025**

1. **अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 तहसीलदार झौथरीपाल की ओर से प्रस्तुत किया है जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि** मौजा भिलवा पंचेला के खसरा नम्बर 2461/1375 रकबा 0.4854 है0 भूमि जरिये उपखण्ड अधिकारी के आदेश कमांक 396–98 दिनांक 01.03.2008 द्वारा विपक्षी श्री प्रभुलाल पिता श्री नानुलाल एवं बबली पत्नी प्रभूलाल निवासी भिलवा पंचेला तहसील झौथरीपाल को 2008 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा है, उक्त भूमि गैर खातेदार दर्ज होकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं होकर आवंटन नियम 14 (3) की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को नोटिस की विधिवत तामील होने के उपरान्त प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुए,
रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 25.11.2024 को न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मेरे व मेरी पत्नी के नाम गलत आवंटन होने के कारण एलोटमेन्ट निरस्त कर श्री सरकार दर्ज की जावें।

3. पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन कि आवंटी/विपक्षी द्वारा आवंटन वर्ष 2008 से लेकर आदिनांक तक आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है एवं न ही वह मौके पर काबिज काश्त है। आवंटित भूमि अब तक गैर खातेदार में दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य होने से इसे निरस्त फरमाया जावे।

4. हमने बहस पर मनन किया ।

5. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा भिलवा पंचेला के खसरा नम्बर 2461/1375 रकबा 0.4854 है0 भूमि जरिये उपखण्ड अधिकारी के आदेश कमांक 396-98 दिनांक 01.03.2008 द्वारा विपक्षी श्री प्रभुलाल पिता श्री नानुलाल एवं बबली पत्नी प्रभूलाल निवासी भिलवा पंचेला तहसील झौथरीपाल को 2008 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा उपरोक्त आवंटीत आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की हैं। राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में यह कथन किया है की नियम 14 (3) अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को काश्त एवं उपयोग किया जाना आवश्यक हैं।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

आवंटी को आराजी वर्ष 1970 में आवंटित हुई। अतः आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो के अनुसार काश्त किया जाना होता है। इतने वर्षो के उपरान्त भी आवंटी जमावन्दी रिकोर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं जवकि आवंटी को आवंटित आराजी पर काश्त कर नियमानुसार खातेदारी अधिकार हेतु कार्यवाही की जानी होती हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी आवंटन के 15 वर्षो के उपरान्त भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं। इससे जाहिर होता है कि आवंटी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है अतः आवंटन नियमों के उल्लघन सावित होने से आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश द्वारा मौजा भिलवा पंचेला के खसरा नम्बर 2461/1375 रकबा 0.4854 है0 भूमि जरिये उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 396–98 दिनांक 01.03.2008 द्वारा विपक्षी श्री प्रभुलाल पिता श्री नानुलाल एवं बबली पत्नी प्रभूलाल निवासी भिलवा पंचेला तहसील झौथरीपाल को 2008 में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि को **निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झौथरीपाल आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।**

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर